विवरणिका 2020-21

PROSPECTUS

(प्रवेश, अनुशासन, उपस्थिति, अध्ययन व अध्यापन नियम)

राजेन्द्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय टटाऊ, बड़कोट (उत्तरकाशी)

आवेदन पत्र सहित मूल्य रु. 50/-

शैक्षणिक कैलेन्डर 2020–2021

(Academic Calendar 2020-2021)

1. प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा की प्रारम्भ तिथि: 14.08. 2020

2. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ की तिथि – 01.09.2020

3. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश :-

बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

(अ) प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि: 25.08.2020

(ब) प्रवेश के लिए मेरिट का प्रकाशन की तिथि : 28.08.2020

(स) प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि: 10.09.2020

(द) प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि : 12.09. 2020

बी.ए./बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

(अ) प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :

(विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ववती परीक्षा के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत अथवा वि.वि. द्वारा परीक्षा परिणाम नेट पर प्रदर्शन के 10 दिन के अन्तर्गत, जो भी पहले हो।)

(ब) उक्त कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि : प्रवेश के तीन दिन के अन्दर

(स) प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय प्रेषित करने की अन्तिम तिथि : प्रवेश के अन्तिम तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत

4. शिक्षण कार्य प्रारम्भ की तिथि:– 15.09. 2020

5. वार्षिक अवकाश तथा कार्य दिवस का विवरण :–

(अ) सम्पूर्ण दिवस 365 दिन

(ब)रविवार 52 दिन

(स) कुल राजकीय अवकाश (सार्व./स्था./निर्व.) 21 दिन

(द) वैकेशन(शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन) 60 दिन

(य) सम्पूर्ण कार्य दिवस 228 दिन

1

उद्भव एवं विकास

(Inception and Development)

पुण्य सलिला मां यमुना के पार्श्व में मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ, पावन धाम यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, पौराणिक राजा सहस्त्रबाहु की नगरी जहां पर पौराणिक मान्यता के अनुसार 101 जलकुण्ड एवं यज्ञ कुण्ड थे जिनमें से पाँच कुण्ड आज भी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। जहाँ के आराध्य चन्द्रेश्वर महादेव एवं अष्टभुजा धारणी मां अट्टासिणी है, तथा उत्तराखण्ड का प्रथम शहीद स्थल तिलाड़ी जिसके पार्श्व में अवस्थित है। ऐसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाली पुनीत धरा बड़कोट में 15 अक्टूबर 1993 को राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। शासनादेश के अनुसार उस वक्त एक प्राचार्य, पाँच विषयों -हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राजनीतिक शास्त्र में एक-एक प्रवक्ता तथा शिक्षणेत्तर वर्ग में एक वरिष्ठ लिपिक, एक पुस्तकालय लिपिक, एक अर्दली एवं एक अनुसेवक का पद स्वीकृत हुआ। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु सत्र 2014-15 में शासनादेश जारी हुआ।

महाविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व मानक के तहत बी.ए. प्रथम में प्रति विषय 80 सीट PCM तथा 60 सीट ZBC में होगी। सीमित संसाधनों के बावजूद महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित होती है। 1996 में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई प्रारम्भ हुई जो कि आज बढ़कर दो हो गई है। वर्ष 2018-19 से स्थानीय युवाओं के हित में महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के केन्द्र का संचालन शुरू किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयेग (यू.जी.सी.) से 2 एफ/12 बी की मान्यता वर्ष 2012-13 से प्राप्त हो गयी है। जिससे शोध सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

2.

सम्बद्धता

(Affiliation)

श्रीदेव सुमन, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय महाविद्यालय में सनातक विज्ञान संकाय एवं कला संकाय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/ आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं। बी.ए. पंचम वर्ष एवं षष्ठम सेमेस्टर में प्रवेश पाठ्यक्रम व परीक्षा हेतु हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के दिशा निर्देश प्रभावी होंगे।

3.

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश

(General Rules Regulation for Admission)

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र (विवरणिका सहित) निर्धारित शुल्क देने पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन-पत्र को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ महाविद्यालय में

निर्दिष्ट स्थान पर जमा करेंगे। संलग्नकों के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाहियों की जानकारी हेतु महाविद्यालय का सूचनापट्ट देखते रहें।

2. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों को अवश्य संलग्न करें। प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदन पर विचार सम्भव नहीं होगा ।

(अ) चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मूल रूप से संलग्न करना होगा। संस्थागत अभ्यर्थी हेतु अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र तथा व्यक्तिगत रूप में रह चुके अभ्यर्थी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य, नगरपालिका, नगर पंचायत अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक-पत्रों एंव प्रमाण-पत्रों की सत्यापित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा इन सभी के मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे ताकि अंक-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों का सत्यापन किया जा सके।

(स) आयु प्रमाण पत्र के लिये हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि/स्वप्रमाणित संलग्न करनी होगी।

(द) प्रवेशार्थी के पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो रंगीन फोटो होनी चाहिए।

(य) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर वे उक्त जातियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

(र) खेल-कूद, एन.एस.एस/एन.सी.सी. तथा पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की सत्यापित /स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

3. बी.ए. द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ विगत परीक्षा के अंक-पत्र की सत्यापित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो फोटो आवश्यक है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण के सम्बन्ध में शासन/वि.वि. द्वारा निर्गत निर्देश/नियम लागू होंगे।

4. प्रवेश आवेदन-पत्रों पर प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति विचार करेगी तथा प्रवेशार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना देकर साक्षात्कार हेतु सूचित किया जायेगा। प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार की तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा बाद में स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे प्राप्तांक का प्रतिशत उच्च ही क्यों न हो।

5. प्रवेश हेतु स्वीकृत अभ्यार्थियों की सूची महाविद्यालय सूचनापट्ट लगा दी जायेगी। ऐसे छात्र बैंक में शुल्क जमा करके रसीद पर अंकित विषयों के प्राध्यापकों से रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्त कर कक्षाओं में नाम लिखायेंगे। नियत तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश संस्तुति स्वत: निरस्त हो जायेगी।

6. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश, स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम में दिया जायेगा।

7. प्राचार्य किसी भी प्रवेश आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकते हैं।

8. संस्थागत छात्र/ छात्राओं को कुल देय व्याख्यानों (लेक्चर्स) में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति प्रतिशत कम होने पर छात्र/छात्रा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

9. प्रवेशार्थी को दो प्रकार के शपथ पत्र भरने होंगे। एक रैंगिग सम्बन्धी और दूसरा 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी नियत स्थान पर अभ्यर्थी/अभिभावक के हस्ताक्षर होने आवश्यक है।

10. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को योग्यता (मेरिट्) के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

11. अवांछित एवं आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों को एवं अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश देय नहीं होगा।

12. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के लिए इण्टर (विज्ञान) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को अर्हता में 5 प्रतिशत

की छूट होगी। परन्तु ध्यान रहे कि 39.9 को 40.00 प्रतिशत तथा 34.9 को 35.0 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी। परन्तु ध्यान रहे कि 49.9 प्रतिशत तथा 39.9 को 40 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

13. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों की आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2.2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी। जो इस प्रकार है- अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेश में निम्न प्रकार से हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलायें 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, विकलांग व्यक्ति 4 प्रतिशत तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत होंगे।

14. अनुत्तीर्ण/ड्रॉप-आउट अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रों को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ड्रॉप-आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र में अध्ययन किया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो। संकाय बदलने पर एक बार प्रवेश दिया जा सकता है।

15. एक बार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो सका है, यदि अन्यत्र प्रवेश लेने के पश्चात् स्थानान्तरण से प्रवेश चाहता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16. स्थानान्तरण के कारण सेवारत कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्र/पुत्री/पत्नी) के प्रवेश आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा, जब स्थान रिक्त हो तथा उन्होंने जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया हो। ऐसे कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भी आवेदन-पत्र के साथ जमा करनी होगी।

17. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (पूर्व में रा.मु.वि.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) तथा पाँच विषयों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।

18. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर अन्य परीक्षा में सम्मिलित होता है/हो तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी यह परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। उदाहरणार्थ बी.ए. में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा बी.टी.सी./पॉलिटैक्निक/फार्मेसी/आई.टी.आई. आदि की कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। (वि.वि. के एड्-ऑन पाठ्यक्रमों एवं इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

19. यदि कोई अभ्यर्थी दूसरे महाविद्यालय से इस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है अथवा पूर्ववर्ती परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और बी.ए. द्वितीय/तृतीय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके न्यूनतम प्राप्तांक कला वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अनुजनजाति 35 प्रतिशत होना चाहिए। साथ ही सीट की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश सम्भव होगा।

20. महाविद्यालय में कैजुअल एडमिशन का कोई प्राविधान नहीं है।

21. शासन अथवा विश्वविद्यालय से वर्तमान सत्र हेतु अतिरिक्त प्रवेश नियम प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिया जायेगा।

22. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिये 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिये होगी। उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यार्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर इस प्रतिबन्ध के साथ ही प्रवेश मिल सकेगा कि वे वरीयता सूचकांक में अर्ह होंगे।

23. वाह्य अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी जिन्होंने कि पूर्ववर्ती परीक्षा व्यक्तिगत रूप में उत्तीर्ण की हो और वह पहली बार कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो अर्हता रखने के साथ-साथ प्रवेश आवेदन-पत्र पर पूर्ववती परीक्षा का अंक पत्र, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएड परीक्षाओं के अंक-पत्र, हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानानतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें।

24. शासकीय आदेश सं. अं.शा. 2421/15.10.85-15/134/86 दिनांक 8 मई, 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रूचि न रखने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है तो तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
25. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. कश्मीरी विस्थापित अभ्यार्थियों को प्रवेश तिथि में 30 दिनों की छूट के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों में प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
27. सभी प्रवेशार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र में पिता के साथ-साथ माता का नाम भी लिखना अनिवार्य है।
28. महाविद्यालय का कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र का अभिभावक नहीं बन सकता है।
29. महाविद्यालय किसी प्रवेशार्थी को प्रवेश एवं शिक्षण सम्बन्धी कोई सूचना अलग से देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेशार्थी/विद्यार्थी को संस्था के सूचना पट्ट तथा शिक्षण सम्बन्धी सूचनायें देखते रहना चाहिए।
30. प्राचार्य को, बिना कोई कारण बताये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है।
31. मिथ्या, भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। यदि त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र-छात्रा को प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त किया जा सकेगा।

32. प्रवेश प्रक्रिया/योग्यता निर्धारण :-

निम्नलिखित श्रेणी के प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे :-

(अ) एक बार किसी कक्षा में प्रवेश लेने पर किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न होना अथवा अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसी कक्षा में प्रवेश हेतु
(ब) विगत वर्षों में अनुशासन मण्डल/प्राचार्य की दृष्टि में आचरण सन्तोषजनक रहना।
(स) अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित रहना अथवा कानून द्वारा दण्डित किया जाना।
(द) इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक व्यवधान (गैप पीरियड) होने पर।
(य) स्नातक स्तर पर एक कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश लेना।
(र) इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात व्यवधान (गैप पीरिएड)होने पर ऐसे अभ्यर्थी के मेरिट सूची बनाते समय सूचकाँक में से 2 अंक प्रतिवर्ष की दर से कम कर दिये जायेंगे।

33. गत वर्ष के महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों के लिये प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ मात्र विगत परीक्षा के अंक-पत्र की सत्यापित एवं दो पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ यथा स्थान संलग्न करना अनिवार्य है।
34. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जाँच के उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
35. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण-पत्र जाली पाये जाते हैं तो उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
36. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णत:अनुशासित रहकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनिमयों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैंगिग में संलिप्त नहीं पाये जायेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी.ए. में चार विषयों (भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र व संस्कृत) के लिए शासनादेश जारी हुआ। इस प्रकार वर्तमान में महाविद्यालय में 01 प्राचार्य, 14 प्राध्यापक, 04 कार्यालय लिपिक संवर्ग, 5 प्रयोगशाला सहायक, 03 अनुसेवक, 05 प्रयोगशाला परिचर सहित कुल 32 पर स्वीकृत हैं।

महाविद्यालय स्तर पर संकायवार सीटों की उपलब्धता

कलासंकाय

क्रम.	विषय	स्नातक प्रथम वर्ष
1	हिन्दी	80
2	अर्थशास्त्र	80
3.	इतिहास	80
4.	अंग्रेजी	80
5.	राजनीतिशास्त्र	80
6.	समाजशास्त्र	80
7.	संस्कृत	80
8.	भूगोल	60
9.	गृहविज्ञान	60

विज्ञान संकाय

क्रम.	विषय	स्नातक प्रथम वर्ष
1.	भौतिक विज्ञान	60
2.	रसायन विज्ञान	120
3.	गणित	60
4.	जन्तु विज्ञान	60
5.	वनस्पति विज्ञान	60

अभिभावक द्वारा उपस्थिति हेतु शपथ–पत्र

(Affidavit For Attendance)

महाविद्यालय प्रशासन को मैं शपथपूर्वक यह आश्वस्त करता हूँ/ करती हूँ कि संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में मेरे पाल्य द्वारा चयनित प्रत्येक विषय में उसकी उपस्थिति कम से कम 75% रहेगी। 75% से कम उपस्थित रहने की दशा में यदि मेरे पाल्य को विश्वविद्यालय की संस्थागत परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है अथवा संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से वंचति किया जाता है अथवा लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय में प्रवेश निरस्त किया जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और इसके लिये मैं न्यायालय में कोई वाद दायन नहीं करूंगा/करूँगी।

दिनाँक :-

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर (प्राचार्य के समक्ष)

पता:

दूरभाष संख्या :

नोट: प्रत्येक महीने के अन्त में जिन छात्र–छात्राओं की उपस्थिति कम रहेगी उनके नामों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा अण्डर–टेकिंग देने पर एक बार छूट दी जा सकती है। अन्यथा ऐसे सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के नाम छात्र पंजिका से काट दिये जायेंगे और तब ऐसी दशा में ये विद्यार्थी संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।
2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिये जायेंगे। वे विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई अन्तिम तिथि से पहले सारी औपचारिकतायें पूरी कर छात्रों को निम्न मानको के अनुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।
3. अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आबंटित कर अन्तिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

(i) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ii) एन.सी.सी. 'बी' प्रमाणपत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाणपत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक तथा राष्ट्रीय को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक)

(iii) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी', प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे दो विशेष शिविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)

(iv) स्काउट में पद सोपान -1, धारक को 1 अंक तथा पद सोपान-3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होंगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होंगे।(अधिकतम 5 अंक)

नोट :- उपरोक्त (ii)(iii)एवं (iv) में से प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में पांच अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(अ) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

नोट :-

1. अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।
2. विश्वविद्यालय स्तर पर जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी उनके प्रवेश नियमों एवं तिथियों को अलग से प्रकाशित/प्रचारित किया जायेगा।

संकायवार प्रवेश नियम

(अ) कलासंकाय : बी.ए. पाठ्यक्रम

स्नातक कला वर्ग की बी.ए. प्रथमवर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीप परिक्षा मे न्यूनम 40% अंक अनिवार्य है, परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों के लिए देय होंगे। प्रवेशार्थी को निम्नलिखित में से तीन विषय लेने होंगे।(वर्जित विषय समूह को छोड़कर) हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान। योग्यता सूचकांक हेतु बिन्दु 6 के समस्त नियम लागू रहेंगे।

प्रतिबन्ध

1. कोई भी छात्र/छात्रा हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में से कोई दो विषय ले सकता है।
2. कोई भी छात्र/छात्रा मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है।
3. कोई भी छात्र/छात्रा इतिहास, भूगोल में से एक विषय का ही चयन कर सकता है।
4. केवल वे छात्र भूगोल विषय ले सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ब)विज्ञान संकाय-

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में मैरिट के आधार पर उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान के छात्र रहे हों तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किये हों, परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों पर ही किये जायेंगे। प्रवेश हेतु योयता सूचकांक निर्धारण हेतु बिन्दु 6 के समस्त नियम लागू होंगे।

छात्र/छात्रा निम्नलिखित अनुवर्गों में से कोई एक अनुवर्ग ले सकते हैं।

1. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित

2. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान

नोट :- अनुवर्ग का चयन करते समय प्रवेशार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति वैकल्पिक विषयों में से कम से कम दो ऐसे विषय होंगे जिन्हें छात्र-छात्रों ने इण्टरमीडिएट स्तर तक पढ़ा हो।

4

स्नातक प्रथम वर्ष के लिये विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

(Instructions for Opting Subjects))

प्रवेश के सयम अभ्यर्थी भली-भाँति सोच समझकर अपनी अभिरूचि के अनुसार निम्न में से किन्हीं तीन विषयों का नियमानुसार चयन कर सकता है।

(अ) कला संकाय हेतु

1. हिन्दी 2. अर्थशास्त्र 3. इतिहास, 4. अंग्रेजी 5. राजनीतिशास्त्र
6. समाजशास्त्र 7. गृहविज्ञान 8. भूगोल 9. संस्कृत

(ब) विज्ञान संकाय हेतु

1. गणित 2. रसायन विज्ञान 3. भौतिक विज्ञान 4. जन्तु विज्ञान 5. वनस्पति विज्ञान

5

महाविद्यालय स्तर पर संकायवार सीटों की उपलब्धता –

8

Special applicable rules for admission in graduation

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुपालनीय नियम

1. एक बार चयन किये गये विषय का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
2. प्रत्येक विषय में सीट निर्धारित है। अस्तु प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्रवेश आवेदन-पत्र अवश्य जमा हो जाने चाहिए। तदुपरान्त उच्चतर प्राप्ताँक वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश पाने से वंचित रह सकते हैं। अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रवेश आवेदन-पत्रों को योग्यताक्रम (मेरिट) के अनुसार सूचीबद्ध कर प्रवेश हेतु संस्तुत एवं स्वीकृत कर दियें जायेंगे।
3. अभ्यर्थी का प्रवेश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त सूचनापट्ट पर सूची चस्पा कर दी जायेगी। जिस पर शुल्क जमा करने की तिथि भी अंकित होगी। यदि दी गई तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं हो पाता है तो प्रवेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

4. प्रवेश आबंटन पत्र संलग्न समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ स्वयं द्वारा सत्यापित (स्वप्रमाणित) होनी चाहिए।
5. एन्टी रैंगिग एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी शपथ पत्रों को भरकर जमा करने के साथ-साथ कार्यान्वित भी करें।
6. प्रवेश की अन्तिम तिथि (शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि) के उपरान्त अविचारित प्रवेश आवेदन-पत्र स्वत: निरस्त समझे जायेंगे।
7. संस्थागत अभ्यर्थी जो कि निर्दिष्ट छात्रवृतियों में एक से अधिक छात्रवृति हेतु पात्रता रखते हों, को मात्र एक छात्रवृत्ति ही अनुमन्य होगी।
8. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के अभिभावक (पिता/माता/वास्तविक संरक्षक) का महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। प्राचार्य के समक्ष उपस्थिति हेतु शपथपत्र पर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी का प्रवेश स्वीकृत किया जायेगा।

9.

शुल्क एंव उसका भुगतान

(Fee and ITS Mode of Payment)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी द्वारा राज्य निधि, छात्र निधि के अन्तर्गत पूरे सत्र का निर्धारित शुल्क एक किश्त में पंजाब नेशनल बैंक बडकोट में जमा किया जायेगा। विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा द्वारा पृथक से आनलाइन विश्वविद्यालय नियमानुसार देय होगा।

10

छात्र गणवेश

(Student Dress Code)

सत्र 2019-20 से महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए गणवेश (Dress Code) निर्धारित की गयी है। सभी संस्थागत छात्र/छात्रायें कालेज यूनिफार्म धारण कर ही महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में प्रवेश करें। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचनापट्ट को देखे।

11

छात्रवृत्ति

(Scholarships)

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है निम्न है:-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति : माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक न होने पर स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में छात्रवृत्ति समान दर से रु. 300.00 प्रतिमाह देय होगी।
2. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति : माता/ पिता/अभिभावक के वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न होने पर स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष में रु. 210.00 प्रतिमाह की दर से समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर देय होगी।
   अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक में खोले गये बचत खातों के माध्यम से ही किया जायेगा। छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवेदन ऑनलाइन होगा जिसका सत्यापन महाविद्यालय द्वारा होगा।
3. भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति : उक्त छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय से आवेदन प्राप्त किये जाने पर प्रदत्त होती है।
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या आश्रितों के लिये है। इसके लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर 10 अगस्त, तक प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया जाना है।
5. दिव्यांग छात्रवृत्ति : दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग से देय होगा।
6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा के आधार पर दी जाती है, स्नातक सतर पर रु. 75.00 प्रतिमाह है। छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रगति आख्या भरकर प्राचार्य से प्रमाणित कराकर अंक पत्र जिसमें 50 प्रतिशत से कम अंक न हों के साथ 31 जुलाई, तक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को प्रेषित किया जाता है।
7. इंसपायर छात्रवृत्ति : इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले एक प्रतिशत छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

12

निर्धन छात्र सहायता कोष

(Poor Boy's Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद के पास इस कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

13

उपस्थिति नियम

(Rules of Attendance)

शासनादेश संख्या 528 (1) 15-(उ.शि.)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।

निम्नलिखित स्थिति में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद-सास्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स-रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन भर दिया जायेगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

नोट:- प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स-रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थियों को देना होगा। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

14

महाविद्यालय पुस्तकालय

(Collage Library)

महाविद्यालय में लगभग 10,250 पाठ्य पुस्तकें संदर्भ ग्रन्थ उपलब्ध है। महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं की सुविधानुसार पुस्तक प्राप्त करने के लिये तिथि निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों पुस्तकें निर्गत की जाती है।

1. सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होती।
2. पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये अथवा खो जाये अथवा किसी भांति नष्ट हो जाये तो पुस्तकधारी छात्र/छात्रा को नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा उसके मूल्य की धनराशि को जमा करना होगा।
3. परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को लौटाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि पर पुस्तक न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।

15.

वाचनालय

(Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों का आह्वान किया जाता है कि खाली समय पर पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

16.

(महाविद्यालय पत्रिका)

(Collage Magazine)

महाविद्यालय पत्रिका (युगशैल) का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपनी स्व-निर्मित रचनाओं को पत्रिका के संपादक मण्डल को हस्तगत करें। साथ ही सम्पादक मण्डल से रचना-लेख आदि के लिये उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लें।

17.

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल

(Career Counselling and Placement Cell)

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा रोजगारपरक सूचनाएं प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कैरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गयी है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की विभिन्न रोजगारपरक सूचनायें तथा उचित काउन्सलिंग कर स्वावलम्बन हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों में भी परामर्श प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को कक्षाएं संचालित की जाती हैं।

18.

कम्प्यूटर/इन्टरनेट सेल

(Computer/internet Cell)

महाविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर और इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। अलग-अलग कक्षाओं के लिये निर्धारित समय पर उपस्थित होकर छात्र/छात्रा मूलभूत कम्प्यूटर साक्षरता तथा इन्टरनेट की जानकारी प्राप्तकर सकते है।

19.

पूर्वछात्र परिषद

(Alumni Association)

महाविद्यालय के विकास में भूतपूर्व छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सन 2010-2011 से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद गठित की जा चुकी है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहिन/अभिभावक अथवा सम्बन्धी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हो तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों तो उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध करायें एवं इसके लिये संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करेंगे। इस परिषद में प्राचार्य अध्यक्ष, वरिष्ठतम प्राध्यापक सचिव तथा भूतपूर्व छात्रों में से उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जायेगा। पूर्व छात्र परिषद की बैठकें समय-समय पर संपादित की जायेंगी।

20.

अभिभावक–शिक्षक परिषद्

(Parent &Teacher Association)

महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में अभिभावक–शिक्षक परिषद गठित की जाती है। इस परिषद् मे प्राचार्य अध्यक्ष, वरिष्ठतम् प्राध्यापक सचिव तथा अभिभावकों में से उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जायेगा। अभिभावक–शिक्षक परिषद बैठकें समय–समय पर संपादित की जायेंगी।

21.

महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ

(Women Cell)

माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

22.

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल

(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु शास्ता होते हैं। महाविहद्यालय के समस्त प्राध्यापक पदेन शास्ता मण्डल के सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हों तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दे ताकि मामले की छान–बीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति कर्म एवं वचन द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।

6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

23.

प्रतिबन्ध निषेध

(Condition Veto)

निषेध:-

1. महाविद्यालय परिसर में धूमपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षो, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन /इश्तहार लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/ प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

24.

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

(Discipline Akin Important Rules)

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्त्रता से प्राप्त कर ले। प्रत्येक छात्र महाविद्यालय परिसर में निर्धारित गणवेश में होना चाहिए।
2. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
3. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/ महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/ निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वत: एवं तथ्यत: निष्कासित हो जायेगा।
5. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

25

रैंगिग–एक कानून अपराध

(Ragging- A Legal Offence)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं. 310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैंगिग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्यवाही हेतु सबल प्रस्तुति भी प्रदान करती है।

23.

पाठ्य–सहगामी क्रियाकलाप

(Co-curricular Activities)

(अ)राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

'मैं नहीं परन्तु आप' (Not Me But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अर्न्तगत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती है जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषक कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालजय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयां कार्यरत है, जिसके तहत 200 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एकदिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। सत्र 2004–05 से वि.वि. द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित होती है जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान्य प्रदान किया जाता है।

(ब) रोवर्स/रेजर्स (Rovers-Rangers)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक, समरसता, जनचेतना, दक्षता एवं सेवाभाव विकसित करने के लिए भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड संगठन के निर्देशन में सत्र 2009–10 में महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स की इकाई स्थापित हुई। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र–छात्रायें प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते है जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

(स) क्रीड़ा एवं खेल–कूद (Game and Sports)

कहा जाता है 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है' महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिये पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता कें प्रतिभाग कराई जाती है। महाविद्यालय

स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीवॉल एवं शतरंज खेल की सुविधा उपलब्ध है।

(द) छात्रसंघ (Student Union)

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil) No.242995e2004e दिनांक 24.2.2004 जो अपर महाधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या-4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 182eXXIV(6)e20074-3(168)e2001 दिनांक 27.2.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं एवं स्व. वित्तपोषित संस्थाओं पर लागू करने के अनुपालन में लिगंदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराये जायेंगे।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत नयी शासन के तत्समय निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर छात्र संघ चुनाव करवाया जाना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों में स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचित होने पर केवल 1 बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने पर 2 बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राचार्य द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

चुनाव आचार संहिता, आयु सीमा एवं व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी साथ ही छात्रसंघ आचार संहिता एवं व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय क आदेशानुसार होगी साथ ही छात्रसंघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

(य) सांस्कृतिक परिषद (Cultural Association)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं संवर्धन करने तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक-साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जायेगा।

(र) विभागीय परिषदें (Departmental Associations)

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी विभागीय परिषदों का गठन करेंगे। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्रायें विभागीय शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ-साथ भ्रमण आदि का आयोजन करेंगे। अन्तरविभागीय प्रतियोगितायें भी आयोजित की जायेंगी।

27.

अन्य नियम

(Additional Rules)

(अ) प्रतिभूति राशि (Security Money)

महाविद्यालय छोड़ने पर प्रतिभूति राशि की वापसी छात्र द्वारा पूरित अदेय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर अक्टूबर माह से लौटाई जाती है। छात्र द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह जब्त समझी जायेगी।

(ब) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

इसे प्राप्त करने हेतु रु. 10 (दस रुपये) शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना चाहिए। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (स्थाई चरित्र प्रमाण पत्र सहित) एवं प्रतिभूति राशि देय होती है।

(स) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

संस्थागत छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करने पर मुख्य नियन्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। यदि किसी छात्र को चरित्र प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति की आवश्यकता हो, तो वह 6 महीने के अन्तराल पर ही निर्गत की जा सकती है। अत: छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियों का प्रयोग करना चाहिए।

(द) परिचय पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय से निर्गत परिचय पत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में हर समय छात्र के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहना चाहिए। परिचय पत्र खोने की अवस्था में शपथ पत्र (कोर्ट द्वारा) एवं अदेय प्रमाण पत्र (पुस्तकालय एवं कार्यालय) प्रस्तुत करने पर ही 50 रु. की फीस के पश्चात दूसरा परिचय पत्र बनाया जायेगा। अपना परिचय पत्र किसी अन्य छात्र/छात्रा को देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(य) शुल्क रसीद (Fee-Receipt)

छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात पूर्ण सत्र तक अपनी फीस की रसीद को संभाल कर रखना होगा। प्रतिभूति धनराशि वापस लेते समय शुल्क रसीद को जमा करना होता है। शुल्क रसीद खोने पर इसकी द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) 20 रु. शुल्क देकर (छायाप्रति) प्राचार्य से प्रमाणित कर देय होगी।

(र) महाविद्यालय विविध-आवेदन पत्र (Miscellaneous Application forms)

महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र आदि नियत समय पर छात्र/छात्रा के द्वारा स्वयं देने पर ही स्वीकार किये जायेंगे और मान्य होगी।

इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन, संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा। नये शासनादेश के प्राप्त होने पर भी तद्नुसार नियमों/निर्देशों में संशोधन कर दिये जायेंगे।

28.
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में सत्र 2018-19 से क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के हित में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का अध्ययन केन्द्र संचालित किया जा रहा है। जिसमें स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में मुक्त विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाता है।

शैक्षणिक कैलेण्डर 2020–21

(Academic Calendar 2020-21)

1. प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा की प्रारम्भ तिथि:	14.08.2020
2. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ की तिथि :	01.09.2020

3. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश :-

बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

(अ) प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :	25.08.2020
(ब) प्रवेश के लिए मेरिट का प्रकाशन की तिथि :	28.08.2020
(स) प्रवेश लेने के अन्तिम तिथि :	10.09.2020
(द) प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि :	12.09.2020

बी.ए./बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

(अ) प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :
(विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ववर्ती परीक्षा के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत अथवा वि.वि. द्वारा परीक्षा परिणाम नेट पर प्रदर्शन के 10 दिन के अन्दर)
(ब) उक्त कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि : प्रवेश के तीन दिन के अन्दर
(स) प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय प्रेषित करने की अन्तिम तिथि :
प्रवेश के अन्तिम तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत

4. शिक्षण कार्य प्रारम्भ की तिथि :-	15.09.2020
5. वार्षिक अवकाश तथा कार्य दिवस का विवरण :-	
(अ) सम्पूर्ण दिवस	365 दिन
(ब) रविवार	52 दिन
(स) कुल राजकीय अवकाश (सार्व./स्था./निर्व.) :	21 दिन
(द) वैकेशन(शीतलकालीन/ग्री मकालीन)	60 दिन
(य) सम्पूर्ण कार्य दिवस	225 दिन

वार्षिक शुल्क विवरण

(Annual Fees Details)

प्रवेशार्थियों को पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देना होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क भी प्रवेश के समय ही देय होगा। निदेशन (उ.शि.) पत्रांक: डिग्री सेवा (बै.क) /3095-3164/2010-11 दिनांक 25 मई, 2010 के द्वारा विभिन्न मदों में शुल्क का निर्धारण निम्नवत है :-

(अ) कोषागार निधियां

प्रवेश शुल्क	रु. 3.00
मंहगाई शुल्क (डी.ए.)	रु. 240.00
विकास शुल्क	रु. 20.00
पुस्तकालय शुल्क	रु. 20.00
प्रयोगशाला शुल्क	रु. 240.00
पंखा शुल्क	रु. 5.00

(ब) महाविद्यालय छात्र निधियां

परिचय पत्र शुल्क	रु. 30.00
क्रीड़ा शुल्क	रु. 360.00
वाचनालय शुल्क पत्रिका एवं रख-रखाव पत्रिका शुल्क	रु. 30.00
रोवर्स एवं रेंजर्स शुल्क	रु. 60.00
विभागीय परिषद् शुल्क	रु. 50.00
सांस्कृतिक परिषद् शुल्क	रु. 70.00
कालेज दिवस शुल्क	रु. 30.00
छात्र संघ शुल्क	रु. 50.00
कैरियर-काउन्सलिंग शुल्क	रु. 30.00
निर्धन छात्र सहायता शुल्क	रु. 20.00
विद्युत व्यय	रु. 60.00
पत्रिका शुल्क	रु. 50.00
कम्प्यूटर रखरखाव व इन्टरनेट सुविधा शुल्क	रु. 50.00
शिक्षक अभिभावक परिषद कोष शुल्क	रु. 30.00
महाविद्यालय विकास प्रागंण एवं सौन्दर्यीकरण शुल्क	रु. 50.00
प्रायोगिक विषय शुल्क (प्रति विषय) प्रायोगिक सामग्री	रु. 60.00
प्रसाधन	रु. 50.00
जनरेटर शुल्क	रु. 50.00
विविध व्यय	रु. 100.00
सेमेस्टर (शैसनल शुल्क)	रु. 100.00

वि.वि. परीक्षा शुल्क

नामांकन शुल्क	रु. 200.00
स्नातक परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर	रु. 900.00
विश्वविद्यालय परीक्षा का शुल्क विज्ञान वर्ग (वार्षिक)	रु. 1200.00
उपाधि शुल्क केवल अन्तिम वर्ष के लिए	रु. 400.00

संकलित शुल्क कला संकाय

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक)	रु. 1541.00
बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (एक प्रायोगिक विषय)	रु. 1841.00
बी.ए. प्रथम समेस्टर (दो प्रायोगिक विषय)	रु. 1901.00
बी.ए. तृतीय सेमेस्टर	रु. 1541.00
बी.ए. पंचम सेमेस्टर	रु. 1541.00

संकलित शुल्क विज्ञान सकाय

बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर PCM (दो प्रयोगात्मक)	रु. 1901.00
बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर CBZ (तीन प्रयोगात्मक)	रु. 1961.00
बी.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर PCM (दो प्रयोगात्मक)	रु. 1901.00
बी.एस.सी. तृतीय सेमेस्टर CBZ (तीन प्रयोगात्मक)	रु. 1961.00
बी.एस.सी. तृतीय वर्ष PCM (दो प्रयोगात्मक)	रु. 1901.00
बी.एस.सी. तृतीय वर्ष CBZ (तीन प्रयोगात्मक)	रु. 1961.00

नोट:- शुल्क का विवरण तथा जमा करने की तिथियाँ समय-समय पर महविद्यालय सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जायेगी। शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश ही मान्य होंगे।

(ढ) विविध शुल्क

अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	रु.10.00
परिचय पत्र द्वितीय प्रति शुल्क	रु. 50.00
शुल्क रशीद (द्वितीय प्रति)	रु. 20

महाविद्यालय परिवार

प्रचार्य एवं प्रोफेसर

डा. ए.के. तिवारी

प्राध्यापक वर्ग

कला संकाय

1.	अर्थशास्त्र	डॉ. पुष्पांजलि (एसोशिएट प्रोफेसर)
2.	राजनीति विज्ञान	डॉ. डी.एस. मेहरा (एसोशिएट प्रोफेसर)
3.	अंग्रेजी	डॉ. अन्जू भट्ट (एसोशिएट प्रोफेसर)
4.	इतिहास	डॉ. विजय बहुगुणा (असिस्टेंट प्रोफेसर)
5.	हिन्दी	पद रिक्त
6.	समाज शास्त्र	श्रीमती संगीता रावत (असिस्टेंट प्रोफेसर)
7.	संस्कृत	पद रिक्त
8.	भूगोल	श्री विनय शर्मा (असिस्टेंट प्रोफेसर)
9.	गृह विज्ञान	पद रिक्त

विज्ञान संकाय

1.	भौतिक विज्ञान	डॉ. विमल प्रकाश बहुगुणा (एसोशिएट प्रोफेसर)
2.	रसायन विज्ञान	डॉ. सीमा (असिसटेन्ट प्रोफेसर)
3.	गणित	डॉ. युवराज (एसोशिएट प्रोफेसर)
4.	जन्तु विज्ञान	डॉ. बनवारी लाल थपलियाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)
5.	वनस्पति विज्ञान	डॉ. जगदीश चन्द्र (असिसटेन्ट प्रोफेसर)

कार्यालय कर्मचारी वर्ग

प्रधान सहायक	पद रिक्त
वरिष्ठ सहायक	श्री राकेश रमोला
कनिष्ठ सहायक	श्री मायाराम टम्टा
कनिष्ठ सहायक	पद रिक्त
प्रयोगशाला सहायक (भौतिक विज्ञान)	श्री राहुल राणा
प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	श्रीमती पूनम
प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)	श्री अखिलेश नेगी
प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)	श्रीमती शीतल
अनुसेवक	पद रिक्त
अनुसेवक	श्री जोगेन्द्र सिंह रावत
प्रयोगशाला परिचर (भौतिक विज्ञान)	सुनील आर्य (उपनल)
प्रयोगशाला परिचर (रसायन विज्ञान)	श्री दीपक जयाड़ा (उपनल)
प्रयोगशाला परिचर (वनस्पति विज्ञान)	श्री दीपेन्द्र रावत (उपनल)
प्रयोगशाला परिचय (जन्तु विज्ञान)	श्री उपेन्द्र सिंह रावत (उपनल)
प्रयोगशाला सहायक	पद रिक्त
प्रयोगशाला परिसर	पद रिक्त

प्रवेश क्रमांक .....

राजेन्द्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रवेश आवेदन पत्र–20.....20...

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

1. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) .....
   हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार
   अंग्रेजी में (Block Letters) .....
2. कक्षा का नाम जिसमें प्रवेशार्थी प्रवेश लेना चाहता है– ☐
3. विषय जिनमें प्रवेश लेना चाहता है–
   1. ☐ 2. ☐ 3. ☐
4. प्रवेशार्थी की जन्मतिथि– तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
5. राष्ट्रीय– (अ) भारतीय ☐ (ब) विदेशी ☐ देश का नाम ☐
6. पिता का नाम.....माता का नाम.....
7. स्थाई पता.....
   जनपद..... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ फोन नं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
8. आधार कार्ड संख्या..... 9. लिंग ..... (लिखें) पुरुष/महिला
10. श्रेणी (अ) सामान्य वर्ग ☐ (ब) पिछड़ी जाति ☐ (स) अनुसूचित जाति ☐ (द) अनुसूचित जनजाति ☐
    (आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र संलग्न करें) (इ) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
11. क्या आप दिव्यांग है ? (सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें).....
12. उत्तराखण्ड में निवास की अवधि ..... 12. ई मेल का पता–.....
13. स्थानीय संरक्षक का नाम व पता .....
14. जनपद..... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ फोन नं0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
15. सैनिक आश्रित:– कार्यरत/भूतपूर्व/ शहीद/अर्द्धसैनिक बल/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी
16. शैक्षिक विवरण–(अंक पत्रों की छायाप्रति एवं स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)।

परीक्षा	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/अधिकतम अंक	श्रेणी	प्रतिशत	बोर्ड/वि.वि. का नाम
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक I/II/III						
अन्य						

प्रवेश आवेदन– पत्र प्राप्ति रसीद

प्रवेशार्थी का नाम – आवेदन क्रमांक

पिता का नाम –

कक्षा –

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
(महाविद्यालय की मुहर)

19. विश्वविद्यालय नामांकन संख्या यदी कोई हो

20. अंतिम शिक्षण संस्था का नाम

परीक्षा का नाम वर्ष अनुक्रमांक प्रतिशत

21. शैक्षणेत्तर क्रियाकलापों का विवरण जिसमें प्रवेशार्थी ने भाग लिया है। (सही का निशान लगायें)

खेलकूद	एन.एस.एस.	एन. सी. सी.	स्काउट/रावर्स–रैंजर्स
☐ राष्ट्रीय ☐ नार्थ जोन	☐ A सर्टिफिकेट ☐ B सर्टिफिकेट	☐ B सर्टिफिकेट ☐ R.D परेड	☐ G1 ☐ G2 ☐ Dhruvpul
☐ राज्य स्तर ☐ वि.वि. स्तर	☐ C सर्टिफिकेट ☐ R.D परेड	☐ C सर्टिफिकेट	☐ guruapad ☐ रोवर–रैंजर

22. महाविद्यालय में कार्यरत हाँ ☐ नहीं ☐ शिक्षक/कर्मचारी के आश्रित (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)

प्रवेशार्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रवेश विवरणिका में दिये ये समस्त नियम एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। तथा मैं उनका सम्यक पालन करुँगा/करुँगी मैं अपनी कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की दशा में मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रैगिंग सम्बन्धी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहुँगा/रहूँगी विषय समस्त दण्डात्मक कार्यावाही की मुझे पूर्ण जानकारी है।

दिनाँक प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

पिता/माता/ संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं.....विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पाल्य.....को

महाविद्यालय में प्रवेश मिलने पर वह महाविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नियमित अध्ययनरत रहेगा तथा अनुशासनहीनता की दशा में उसे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया दण्ड मुझे मान्य होगा।

दिनांक पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर

नाम–.....

पता.....

साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए	प्रवेश हेतु संस्तुत/संस्तुत नहीं	प्रवेश स्वीकृत/ अस्वीकृत
प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर संयोजक प्रवेश समिति	हस्ताक्षर प्राचार्य
दिनांक.....		

कार्यालय प्रयोग हेतु

समस्त देय धनराशि /रु.....रसीद सं.....दिनांक.....द्वारा प्राप्त की तथा

महाविद्यालय पंजीकरण सं.....पर प्रविष्टि की।

हस्ताक्षर शुल्क लिपिक

ANNEXURE -1

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

1. I.....

   S/O,d/o,Mrs./Ms.....havingreceived copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher education institution, 2010 (hereinafter called the regulations) carefully read and fully understood, the provisions contained in the said regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the regulation and am aware as to what contitutesragging.
3. I have also, in particular,perused clause 7 and clause 9.1 of the regulation and am fully aware the penal and administrative action that is liable to taken against me in case i am found guilty of or abetting, ranging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. i hereby sommly aver and undertake that

   A) I Will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulations

   B) I will not participate in or abet or propagate throgh any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulation.
5. I have declar that. If found guilty of ragging i am liable for punishment according to clause 9.1 of the regulation, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any low for the time being in force
6. I hereby declare that my word has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account or being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to paomote, ragging and further affirm that in case the declaration is found to be untrue the admission of my word is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verificed that contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated threrein.

Verified at.....on this the.....of.....

Sigature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.....of.....after readind the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE - II

AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

1. I, Mr./mrs./ms.. (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of... Having been admittied to...

   Having received a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in higher education institution, 2010 (hereinafter called the regulations) carefully read and fully understood, the provisions contained in the said regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the regulation and am aware as to what constitutes ragging.

3. I have also in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is lible to taken against me in case i am fuound guilty of or abetting ranging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that

A) I Will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulation

B) I will not participate in or abet or propagatethrough any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulations.

5. I have, declare that if found guilty of ragging i am lible for punishment according to clause 9.1 of the regulation, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal low or any low for the time being in force

6. I hereby declare that my word has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account or or being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that in case the declaration is found to be untrue the admission of my word is liable to cancelled.

Declared this..........day of..........month of............year.

Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/mobile no.

VERIFICATION

Verification that the contents of this affidavit are true to this best of my knowledge and no part of the affidavit is fakse and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified................................on this the.....................of.........................

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ....of .... after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राओं को सूचना पट्ट पर अंकित सूचनायें ध्यान से पढ़नी चाहिए। छात्र–छात्राओं को सूचना पट्ट पर लगी सूचनाओं को कदापि न फाड़े अन्यथा दण्ड के भागी बन सकते है।
2. छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।
3. छात्र–छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रिया कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों में आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
4. प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता (चीफ प्रोक्टर) से सम्पर्क कर अपना परिचय–पत्र (आईडिन्टिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर परिचय–पत्र दिखाना आवश्यक है।
5. वि.वि. परीक्षा आवेदन–पत्र निर्धारित उपस्थिति एवं शुल्क भुगतान किये जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जायेगा।
6. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
8. शुल्क जमा करने के पश्चात सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखाना छात्र–छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
9. शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए क्योंकि प्रतिभूति धन वापस लेते समय इसे प्रार्थना–पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना पडता है।
10. महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर इरादत्तन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
11. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद एन.एस.एस. अथवा रोवर्स रेंजर्स में पंजीयन हेतु तत्सम्बन्धी अधिकारियों से सम्पर्क करें। शुल्क मुक्ति एवं निर्धन सहायता हेतु सम्पर्क करें
12. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे अपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहे।
13. छात्र/छात्राओं का प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

हमारी सन्दृष्टि (Our Vision)

"विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वस्थ एवं उत्कृष्ठ शैक्षिक वातावरण बनाना तथा उनकी योग्यता एवं रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धिकर, उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करते हुए समाज हेतु उपयोगी एवं कर्तव्यनिष्ठ मानव संसाधन तैयार करना।"

हमारा ध्येय (Our Mission)

1. गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं व क्षमताओं का विकास हो तथा उनमें आत्मविश्वास, निर्णय लेने तथा नेतृत्व क्षमता जैसी योग्यताएं विकसित हो।
2. उच्च शिक्षा प्रदान करने में परम्परागत विधियों के साथ सूचना एवं संचार तकनीकी (ICT), दूरस्थ शिक्षा (ODL) एवं मुक्त शैक्षिक स्रोतों(MOOCS) के उपयोग को बढ़ावा देना।
3. महाविद्यालय के पोषित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण, आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा नामांकन दर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।
4. उच्च शिक्षा को प्रासंगिक बनाते हुए क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
5. युवाओं की रोजगारक्षमता एवं कौशल विकास अभिवृद्धि हेतु रोजगारपरक शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना।
6. समाज के आर्थिक, सामाजिक परिवेश में प्रासंगिक समस्याओं/विषयों का अध्ययन कर समाधान हेतु शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
7. देश की सर्वोच्च सेवाओं हेतु विद्यार्थियों को शैक्षिक मानसिक एंव नैतिक रूप से तैयार करना।